

अनुदान संख्या 35 – अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 35 - INDIRECT TAXES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	50,00	..	-50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	7418,00,00		
			7418,02,00	6935,63,45
पूरक	Supplementary	2,00		-482,38,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			357,35,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	407,00,00		
			407,03,00	252,16,18
पूरक	Supplementary	3,00		-154,86,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			132,65,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹50.00 लाख का विनियोग तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹50.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	204720.00	197783.01	196828.07	-954.94
पु.	R.	-6936.99			
मुख्य शीर्ष "2038"	Major Head "2038"				
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties				
मू.	O.	535780.00
पु.	R.	-535780.00			
मुख्य शीर्ष "2042"	Major Head "2042"				
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रह प्रभार	Collection Charges under Central Goods and Service Tax and Integrated Goods and Service Tax				
पू.	S.	2.00	507088.19	495682.15	-11406.04
पु.	R.	507086.19			

(I) ₹540580.00 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹540508.10 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹540580.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these ₹540508.10 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037" – "आरक्षित निधि एवं जमा लेखा को अंतरण – सीमा शुल्क कल्याण निधि को अंतरण" – ₹3800.00 लाख – निधि में पर्याप्त निधियों की उपलब्धता होने के कारण।

(A) Major Head "2037" – "Transfer to Reserve Fund and Deposit Account – Transfer to Customs Welfare Fund" – ₹3800.00 lakhs – due to availability of sufficient funds in the fund.

(खा) मुख्य शीर्ष "2038" –

(B) Major Head "2038" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(a) "Direction and Administration" –

- | | |
|---|--|
| (i) “निष्पादन प्रबंधन” – ₹11782.90 लाख; | (i) “Performance Management” – ₹11782.90 lakhs; |
| (ii) “राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा स्वापक अकादमी” – ₹12982.00 लाख; | (ii) “National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN)” – ₹12982.00 lakhs; |
| (iii) “सतर्कता” – ₹3892.40 लाख; | (iii) “Vigilance” – ₹3892.40 lakhs; |
| (iv) “कर दाता सेवाएं महानिदेशालय” – ₹19287.30 लाख; | (iv) “Directorate General of Tax Payer Services” – ₹19287.30 lakhs; |
| (v) “वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय” – ₹19221.00 लाख; | (v) “Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence” – ₹19221.00 lakhs; |
| (vi) “सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समझौता आयोग” – ₹1952.00 लाख; | (vi) “Customs and Central Excise, Settlement Commission” – ₹1952.00 lakhs; |
| (vii) “प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन” – ₹75615.50 लाख; | (vii) “Systems and Data Management” – ₹75615.50 lakhs; |
| (ख) “संग्रहण प्रभार” – | (b) “Collection Charges” – |
| (i) “आयुक्तालय” – ₹380757.50 लाख; | (i) “Commissionerates” – ₹380757.50 lakhs; |
| (ii) “प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी के वेतन एवं लेखा कार्यालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)” – ₹7398.90 लाख; | (ii) “Pay & Accounts Offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC” – ₹7398.90 lakhs; |
| (ग) “अन्य व्यय” – | (c) “Other Expenditure” – |
| (i) “स्थल सीमा शुल्क का संग्रहण” – ₹807.60 लाख; और | (i) “Collection of Land Customs” – ₹807.60 lakhs; |
| (ii) “अन्य मदें” – ₹2010.00 लाख; और | (ii) “Other Items” – ₹2010.00 lakhs; and |
| (iii) “विभागीय कैंटीन” – ₹1001.00 लाख; और | (iii) “Departmental Canteens” – ₹1001.00 lakhs. |

प्रावधान उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन की वजह से सीजीएसटी और आईजीएसटी के अंतर्गत संग्रहण प्रभार के लिए नए शुरू किए गए शीर्षों को प्रावधान का अंतरण होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2037” – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य – केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला” – ₹4229.44 लाख बचत (₹6971.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और राजस्व प्रयोगशालाओं के अपग्रेडेशन के लिए उपकरणों की अपूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(खा) “निवारक तथा अन्य कार्य – राजस्व आसूचना निदेशालय” – ₹3340.63 लाख की बचत (₹17373.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, रिवाइड मामलों और टाटा कम्यूनिकेशन लिमिटेड से कार्यालय के लिए जगह किराए पर लिए जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने एवं आईटी संबंधी मदों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत बचत ₹288.71 लाख हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थी।

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹507906.69 लाख) प्रयुक्त हो गई; जैसा कि मुख्य शीर्ष “2042” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) “निर्देशन और प्रबंधन” –

(क) “निष्पादन प्रबंधन” – ₹11173.21 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹10430.19 लाख था।

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to transfer of provision to newly opened heads for collection charges under CGST & IGST owing to implementation of Goods and Services Tax.

(II) Under Major Head “2037” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions – Central Revenues Control Laboratory” – saving of ₹4229.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6971.20 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-supply of equipments for up-gradation of revenue laboratories.

(B) “Preventive and Other Functions – Directorate of Revenue Intelligence” - saving of ₹3340.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17373.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of reward cases and proposal of hiring office space from Tata Communication Limited, requirement of less funds towards professional services and less purchase of IT related items.

(III) Under one head saving of ₹288.71 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹507906.69 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in July, 2018 and December, 2018 under Major Head “2042” - under the following heads:-

(A) “Direction and Administration” –

(a) “Performance Management” – ₹11173.21 lakhs. Actual excess, however, was ₹10430.19 lakhs.

- (ख) “राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा स्वापक अकादमी” – ₹9728.64 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹8500.23 लाख था।
- (ग) “सतर्कता” – ₹3504.70 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3418.24 लाख था।
- (घ) “कर दाता सेवाएं महानिदेशालय” – ₹9747.98 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹9325.65 लाख था।
- (ङ) “वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय” – ₹13421.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹8796.75 लाख था।
- (च) “सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समझौता आयोग” – ₹1462.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1331.84 लाख था।
- (छ) “प्रणाली एवं डॉटा प्रबंधन” – ₹6213.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹60071.39 लाख था।
- (ख) “संग्रहण प्रभार” –
- (क) “आयुक्तालय” – ₹387461.61 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹386029.25 लाख था।
- (ख) “प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीईसी के वेतन एवं लेखा कार्यालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)” – ₹6758.90 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6164.52 लाख था।
- (गा) “अन्य व्यय” –
- (क) “अन्य मदें” – ₹2010.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2054.47 लाख था।
- (ख) “विभागीय कैंटीन” – ₹515.15 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹488.01 लाख था।
- (b) “National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN)” – ₹9728.64 lakhs. Actual excess, however, was ₹8500.23 lakhs.
- (c) “Vigilance” – ₹3504.70 lakhs. Actual excess, however, was ₹3418.24 lakhs.
- (d) “Directorate General of Tax Payer Services” – ₹9747.98 lakhs. Actual excess, however, was ₹9325.65 lakhs.
- (e) “Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence” – ₹13421.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8796.75 lakhs.
- (f) “Customs and Central Excise, Settlement Commission” – ₹1462.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1331.84 lakhs.
- (g) “System and Data Management” – ₹62123.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹60071.39 lakhs.
- (B) “Collection Charges” –
- (a) “Commissionerates” – ₹387461.61 lakhs. Actual excess, however, was ₹386029.25 lakhs.
- (b) “Pay & Accounts Offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of Accounts, CBEC” – ₹6758.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹6164.52 lakhs.
- (C) “Other Expenditure” –
- (a) “Other items” – ₹2010.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2054.47 lakhs.
- (b) “Departmental Canteens” – ₹515.15 lakhs. Actual excess, however, was ₹488.01 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष “2037” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं।

(का) “राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य – समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य पत्तन” – ₹2244.40 लाख का अधिक व्यय (₹68197.92 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, मजदूरी दर में संशोधन होने, आकस्मिक श्रमिकों को अस्थाई स्थिति का अनुदान, अपवंचनरोधी कार्य के लिए आसूचना संग्रहण से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और विश्व सीमा शुल्क संगठन नीति आयोग की बैठक का आयोजन करने एवं अधिक दौरे किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “निवारक तथा अन्य कार्यकलाप – समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य पत्तन” – ₹2168.53 लाख का अधिक व्यय (₹100554.23 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने एवं अधिक दौरे किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2037” - under the following heads:-

(A) “Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs – Major Ports” – excess of ₹2244.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹68197.92 lakhs) was due to filling-up of vacant posts, revision of wage rates, grant of temporary status to casual labourers, requirement of additional funds towards collecting of intelligence for Anti evasion work and hosting the World Customs Organisation Policy Commission meeting and more tours undertaken.

(B) “Preventive and Other Functions – Sea Customs - Major Ports” – excess of ₹2168.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100554.23 lakhs) was due to filling up of vacant posts and more tours undertaken.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head		
मुख्य शीर्ष “4047” अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major head “4047” Capital Outlay on Other Fiscal Services	
मू.	O.	10500.00
पु.	R.	-2765.00
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major head “4059” Capital Outlay on Public Works	
मू.	O.	18100.00
पू.	S.	2.00
पु.	R.	-5500.00

7735.00 7604.83 -130.17

12602.00 12233.16 -368.84

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4216"	Major head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	12100.00			
पू.	S.	1.00	7101.00	5378.19	-1722.81
पु.	R.	-5000.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4047" – "सीमा शुल्क – निवारक तथा अन्य कार्य" के अंतर्गत ₹2895.17 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रेणी-I तथा श्रेणी-II जलयान की बकाया मामलों का निपटान न होने और तस्करी निरोधक उपकरणों का अधिग्रहण न किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन – अन्य व्यय – तैयार आवासों का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹5868.84 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹18102.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि के अधिग्रहण, कार्यालय भवन के निर्माण तथा बने बनाए कार्यालय आवास की खरीद के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – बने बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण" – ₹6722.81 लाख की बचत (फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12101.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बने बनाए रिहायशी आवासों की खरीद/रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4047" – "Customs-Preventive and other Functions" - saving of ₹2895.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to non-settlement of outstanding issues of Category I & II vessels and non-acquisition of anti smuggling equipments.

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready-built Accommodation" – saving of ₹5868.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18102.00 lakhs including token supplementary grants of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019) was due to non-finalisation of proposals for acquisition of land, construction of office building and purchase of ready built office accommodation.

(III) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings -Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees-Acquisition of Ready-built Flats" – saving of ₹6722.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12101.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2019) was due to non-finalisation of proposals for purchase of ready built residential/construction of residential accommodation.